झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 17 वर्ष 2024

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती प्रभावती देवी, ग्राम-बिजका, थाना-मण्डरिया, जिला-गढ़वा।

वाद प्रारंभ की तिथि 22/08/2024.

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा0, गढ़वा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–17 / 2024

अपीलकर्ता श्रीमती प्रभावती देवी, ग्राम–बिजका, थाना–भण्डरिया, जिला–गढ़वा का अपील आवेदन व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

अपीलकर्ता का आरोप है कि उनके द्वारा पूर्व में समर्पित परिवाद पत्र पर अबतक कार्रवाई नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता श्रीमती प्रभावती देवी एवं अन्य द्वारा व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–19.06.2024 को परिवाद पत्र आयोग को समर्पित किया गया था जिसमें ग्राम–बिजका के कुल 45 कार्डधारियों को माह जनवरी से जून 2024 तक का राशन PDS डीलर गुलाब स्वयं सहायता समूह द्वारा नहीं दिये जाने का आरोप लगाते हुए उक्त अवधि का राशन ससमय लाभुकों को दिलवाने का अनुरोध किया गया था। प्राप्त परिवाद पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक–WA/494/2024 दिनांक–20.06.2024 द्वारा अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रेषित की गई थी किन्तु उक्त मामले में कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त रही।

अतः प्राप्त अपील आवेदन पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–09.09.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर एवं अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–09.09.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	**(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।